<u>प्रतिलिपिः– जमानत आवेदन क्रमांक 271/2026, आदेश पत्र दिनांक 08.08.2026 न्यायालय–बी.आर.साहू, अपर सत्र न्यायाधीश गरियाबंद, छ.ग.</u>

<u>जमानत आदेश पारित।</u>

अपराध क्रमांक–197/2026
धारा– 34 (2) छ.ग. आबकारी अधिनियम।

गोपी तारक पिता स्व.बिसेलाल तारक, उम्र 58 वर्ष,
निवासी ग्राम–देवरी, थाना–राजिम,
जिला–गरियाबंद छ.ग. **.....आवेदक/अभियुक्त**

।। विरूद्ध ।।

छ.ग. राज्य द्वारा–आरक्षी केन्द्र–राजिम,
जिला गरियाबंद छ.ग. **..... अनावेदक/अभियोजन**

08.08.2026 **पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से प्रकरण मेरे समक्ष पेश ।**

आवेदक/अभियुक्त गोपी तारक की ओर से श्री हरीश साहू, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री शिवदयाल साहू अति. लोक अभियोजक।

प्रकरण जमानत आवेदन पत्र पर तर्क व विचार हेतु नियत है।

आरक्षी केन्द्र राजिम से संबंधित अपराध क्र० 197/2026, धारा–34(2) छ.ग.आबकारी अधिनियम की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. पर उभयपक्ष का तर्क श्रवण किया गया।

इस आदेश द्वारा आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं तर्क इस प्रकार है कि आरक्षी केन्द्र राजिम द्वारा अपराध क्रमांक 197/2026, धारा–34(2) छ.ग. आबकारी अधिनियम में अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिनांक 21.07.2026 को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजिम में पेश किया गया है, जहां उसकी ओर से प्रस्तुत धारा 480 बी.एन.एस.एस. का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल गरियाबंद में निरुद्ध किया गया है। आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसे उक्त प्रकरण मे झूठा फंसाया गया है । उक्त प्रकरण में अभियुक्त की कोई संलिप्तता नहीं है । आवेदक/अभियुक्त से पुलिस थाना राजिम ने किसी प्रकार का शराब जप्त नहीं किया है । पुलिस आरोपी को उसके घर से जबरदस्ती अपने मोटर वाहन में बैठाकर थाना ले गया और आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण कर दिया है । आवेदक/अभियुक्त अत्यंत गरीब व्यक्ति है, उसे न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध किये जाने से उसके उसके परिवार के समक्ष गंभीर आर्थिक व मानसिक संकट उत्पन्न हो गया है । आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध पंजीबद्ध अपराध आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड से दंडनीय अपराध की श्रेणी की नही है । आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध पंजीबद्ध मामले को थाना देवभोग द्वारा वर्तमान में अन्वेषण मे होना लेखबद्ध किया है । प्रकरण में विचारण होकर अंतिम निराकरण होने मे समय लगने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता । आवेदक/अभियुक्त ग्राम–देवरी, थाना–राजिम, जिला गरियाबंद छ.ग. का स्थायी निवासी है, जमानत पश्चात उसके अन्यत्र फरार होने की संभावना नहीं है। आवेदक/अभियुक्त न्यायालय के समस्त आदेश एवं निर्देशों का पालन करने के लिये तैयार है। अतः उसे जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

आवेदन के समर्थन में आवेदक की ओर से **गणेशिया बाई तारक** का शपथ पत्र संलग्न किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत यह **प्रथम** नियमित जमानत आवेदन पत्र है। इसके अतिरिक्त इस आशय का अन्य कोई जमानत आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत या लंबित या निराकृत नहीं है।

राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध आरक्षी केन्द्र राजिम द्वारा अपराध क्र. 197/2026, धारा–34(2) छ.ग. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि दिनांक 20.07.2026 को अभियुक्त/आवेदक से कुल **5.580** बल्क लीटर देशी मदिरा मसाला शराब जप्त किया जाना बताया गया है, तथा अभियुक्त को उक्त अपराध धारा के तहत् गिरफ्तार किया गया है। आवेदक/अभियुक्त को दिनांक 21/07/2026 से अभिरक्षा में निरूद्ध रहना बताया गया है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। आरक्षी केन्द्र राजिम द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में आवेदक/अभियुक्त का पूर्व में अपराध क्र० धारा 334/18 धारा, 294, 506, 323, 34, एवं अपराध क्र. 09/2015 धारा 34(ए) आबकारी एक्ट, पूर्व आपराधिक रिकार्ड होना बताया गया है जो कि दिनांक 08.05.2015 को निराकृत होकर दोषमुक्त किया गया है जिसकी प्रति प्रस्तुत किया गया है एवं अपराध क्र. 116/14 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट तथा अपराध क्र० 95/2025 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट पूर्व आपराधिक रिकार्ड होना बताया गया है जो कि समरी प्रकृति का है जिसे न्यायालय द्वारा निराकृत होने के संबंध में थाना राजिम द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया

है । आबकारी अधिनियम के तहत इस प्रकरण के अलावा अन्य कोई आपराधिक प्रकरण लंबित होना प्रतिवेदित नहीं किया है और न ही कोई दस्तावेज संलग्न किया है ।

अतः प्रकरण की उपरोक्त संपूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. स्वीकार किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से संबंधित विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य 25,000/– रूपये अक्षरी पच्चीस हजार रूपये का **सक्षम** जमानत एवं उतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका निम्मलिखित शर्तो के साथ पेश किया जाता है तो उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

शर्तः– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को प्रभावित, प्रलोभित अथवा प्रताड़ित नहीं करेगा, अन्य किसी अपराध में संलिप्त नहीं रहेगा एवं विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथियों पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्त सहित आदेशानुसार जमानत एवं बंधपत्र प्रस्तुत किये जाने पर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

आदेश की प्रति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा जावे, आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित आरक्षी केन्द्र को वापस की जावे एवं आदेश की प्रति जेल अधीक्षक गरियाबंद को भेजा जावे।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सही/–
(श्रीमती गंगा पटेल)
अपर सत्र न्यायाधीश
(एफ.टी.एस.सी.)
वास्ते– अपर सत्र न्यायाधीश
गरियाबंद (छ.ग.)

प्रतिलिपि– 1/ आदेश की प्रति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला गरियाबंद को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजा जावे।

2/ आदेश की प्रति सहित संबंधित आरक्षी केन्द्र को केस डायरी वापस किया जावे।

3/ आदेश की प्रति जेल अधीक्षक गरियाबंद भेजा जावे।

सही/–
(श्रीमती गंगा पटेल)
अपर सत्र न्यायाधीश
(एफ.टी.एस.सी.)
वास्ते– अपर सत्र न्यायाधीश
गरियाबंद (छ.ग.)